राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–31/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/216
दायर दिनांक– 06.11.2024
निर्णय दिनांक–29.10.2025

उनवानी–
1. रामा पुत्र प्रताप जाति जाट नि0 ग्राम थल तह0 रूपनगढ.
2. ऐजन पुत्री प्रताप जाति जाट हाल नि0 ग्राम नयागांव तह0 रूपनगढ़ (DELETE)
3. कमला पुत्री प्रताप जाति जाट हाल नि0 ग्राम नयागांव तह0 रूपनगढ़(DELETE)
4. नारायण पुत्र प्रताप जाति जाट नि0 ग्राम थल तह0 रूपनगढ
5. रूकमणी पत्नि प्रताप जाति जाट नि0 ग्राम थल तह0 रूपनगढ. (DELETE)
6. देवकरण जाट पुत्र प्रताप जाति जाट नि0 ग्राम थल तह0 रूपनगढ
7. ग्यारसी देवी पुत्री प्रताप जाति जाट हाल नि0 ग्राम करकेड़ी तह0 रूपनगढ़ (DELETE)
सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम थल पटवार हल्का थल भू–अ0नि0 क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 125 के ख0न0 221 रकबा 1.6260 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार अन्तर्निहित है तथा उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के नाम संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णितानुसार कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि मे किसी भी अन्य खातेदार का किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा या दखल नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी का सीमाज्ञान करने हेतु पटवारी हल्का थल के द्वारा दिनांक 27.4.2022 को सीमाज्ञान का मौका पर्चा तैयार कर मौके पर उपस्थित पड़ोसी खातेदारों ने सीमाज्ञान करने के लिये अपनी सहमति जाहिर की इसके बाद पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान करके मौका पर्चा दिनांक 27.4.2022 को तैयार किया। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र में अन्य पड़ोसी खातेदारों से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा दूसरे पड़ोसी खातेदारों को उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.25 10:01:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी भूमिधारक (लेण्ड होल्डर) होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाव पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश कर प्रार्थी संख्या 2, 3, 5 व 7 को प्रकरण से हटाये जाने हेतु पेश किये। जिस पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 2, 3, 5 व 7 को प्रकरण से हटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

हमने वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थल के खाता संख्या 125 के ख0न0 221 रकबा 1.6260 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

रामकुमार टाडा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.25 10:01:10 IST
Reason: SelfAttested